झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

शिक्षा सत्र 2016-18 में नामांकन तथा सीट वृद्धि के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 35/2016

एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य स्थित स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों, स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों, डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2016-18 एवं आगामी सत्रों के लिए संबंधित संकायों में महाविद्यालयों में निम्नांकित सीट से अधिक नामांकन न लें।

1. स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय - प्रत्येक संकाय में 128
2. स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय- प्रत्येक संकाय में 384
3. डिग्री संबद्ध महाविद्यालय- प्रत्येक संकाय में 384
4. अंगीभूत महाविद्यालय- प्रत्येक संकाय में 512

उपर्युक्त सीट संख्या के अतिरिक्त सीट वृद्धि यदि आवश्यक हो तो **(स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय को छोड़कर)** अपना आवेदन निम्नांकित बिन्दुओं पर साक्ष्य सहित परिषद् कार्यालय में दिनांक **20.07.2016** तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे, ताकि सम्यक् विचारोपरान्त सीट वृद्धि पर समुचित निर्णय लिया जा सके।

1. संबंधित संकाय की सीट वृद्धि हेतु महाविद्यालय को उपलब्ध Infrastructure (वर्गकक्ष, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला) की स्थिति का विवरण।
2. संबंधित संकाय के शिक्षकों का विवरण।
3. वर्ष 2016 का परीक्षाफल प्रतिशत (छात्र संख्या सहित)।

नोट:- निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। सीट वृद्धि के पत्र प्राप्ति के उपरान्त ही वर्द्धित सीट में नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय के लिए सीट वृद्धि का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही निदेश दिया जाता है कि एतद् द्वारा पूर्व के सत्रों में किसी भी रूप में दी गई सीट वृद्धि आदेश/प्रात:कालीन कक्षा संचालन की दी गई अनुमति को निरस्त किया जाता है। उक्त निर्धारित संख्या से अधिक नामांकन परिषद् की अनुमति के बिना नहीं लेंगे, अन्यथा उसकी जवाबदेही संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य की होगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(मोहन चाँद मुकिम)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/कॉ.स्था./16598/12/SECY/226/16
Dt. 28.06.2016
D.O.P. 29.06.2016

12x2